

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2017—आश्विन 3, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. एफ-ए-3-33-2017-1-पांच (113).—मध्यप्रदेश के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 433, दिनांक 5 अगस्त 2017 द्वारा प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (42), दिनांक 5 अगस्त, 2017 में निम्नानुसार शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जाता है :—

- (i) पृष्ठ 866 (12) की पंक्ति 29 में "30" के स्थान पर "30 या कोई अध्याय" पढ़ा जाए;
- (ii) पृष्ठ 866 (32) की पंक्ति 11 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप किया जाए;
- (iii) पृष्ठ 866 (32) की पंक्ति 13 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप किया जाए;
- (iv) पृष्ठ 866 (32) की पंक्ति 15 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप किया जाए;
- (v) पृष्ठ 866 (79) की पंक्ति 32 में "चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य" के स्थान पर "चश्में (संशोधक से भिन्न)" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.